

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 8 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

स्कुल कैम्पटी वीरडा खालसा बनाम रीर आदि

जारी अधिसू

दावा बाबत :- 88 RTA Act

मुकदमा नम्बर :- 132/2021

निर्णय दिनांक :- 02-12-2021

वादी की ओर से वकील विनोद पुनिया की व प्रतिवादी सं० 1 की ओर से वकील राजेश कुमार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 2-12-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रीर मोजा वीरडा खालसा के खाता सं० 83/83 के खासरा सं० 38 की 1.03 है, खासरा सं० 31 की पं० 553 है कुल 5-530 है वाराना खेतवारी कृषि मंत्री राजकीय प्राथमिक पाठशाला के नाम से राजस्व खाता में दर्ज है उक्त वाद में मैं से राजकीय प्राथमिक पाठशाला का नाम कुलामजन किता जाकर वादी स्कुल कैम्पटी वीरडा खालसा को खेतवार कास्तरकार घोषित किया जाता है

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 2-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा जिला हनुमानगढ़

(शिवर प्रभासी)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

प्र.गा. के संग अ.-2021

कैम्प